न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम) नरकटियागंज
विभाजन वाद संख्या–60/2018

टुन्नू गिरी.....वादी

बनाम

मुकेश गिरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

18.09.2021 न्यायालय की कार्यवाही आज वर्चुअल मोड़ में संचालित किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 तथा 8 व 9 के विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल मोड़ में उपस्थित हुए। अभिलेख आज वादी के आवेदन दिनांक 24.08.2020 पर आदेश हेतु नियत है।

वादी द्वारा दिनांक 24.08.2020 को एक आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में प्रतिवादी सं0–1 ता 3 एवं 8, 9 की ओर से दिनांक 28.01.2021, प्रतिवादी संख्या–10, 11 एवं 14 की ओर से दिनांक 03.02.2021, एवं प्रतिवादी संख्या–15 ता 19सी की ओर से दिनांक 10.02.2021 को कारण पृच्छा दाखिल किया गया है।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि जिसका वर्णन वादपत्र के मद नं0–2 में किया गया है, में अपने 6/32 हिस्से के लिए लाया गया है। यह कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या–2, 8,10, 11, 14 तथा 15 ता 19सी प्रस्तुत वाद में उपस्थित हुए हैं, किन्तु उनकी ओर से जान बूझकर लिखित कथन दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए उनको लिखित कथन दाखिल करने से वंचित कर दिया गया है। यह कि उभय पक्ष के पूर्वज रामगिरी थे तथा रामगिरी के एक पुत्र दत्तात्रेय गिरी थे तथा दत्तात्रेय गिरी को 3 पुत्र शेषनाथ गिरी, सुरेशचंद्र गिरी और उपेन्द्र गिरी तथा एक पुत्री गीता देवी थी। यह कि वादी और प्रतिवादी संख्या–15 ता 18 उपेन्द्र गिरी के, प्रतिवादी संख्या–1 से 7 शेषनाथ गिरी के, प्रतिवादी संख्या–8 से 14 सुरेशचंद्र गिरी तथा प्रतिवादी संख्या–19 ता 19सी गीता देवी के वंशज हैं। यह कि मुकेश गिरी, राकेश गिरी, राजेश गिरी, अनील गिरी, संतोष गिरी जो प्रस्तुत वाद में क्रमशः प्रतिवादी संख्या–1,2,3,8 एवं 8 हैं, वे बेईमानी के आशय से वादग्रस्त भूमि का अंतरण कर रहे हैं, जिससे वादी का हित प्रभावित होगा। यह कि यदि वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का अंतरण होता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। साथ ही वादी द्वारा जिस उद्देश्य से प्रस्तुत वाद दाखिल किया गया है, वह विफल हो जाएगा। यह कि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला तथा सुविधा का संतुलन है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने तथा वादग्रस्त भूमि के विक्रय पर रोक लगाते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाय।

इस संबंध में प्रतिवादी सं0–10, 11 व 14 का कहना है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादपत्र की अनुसूची–2 में वर्णित भूमि के बंटवारे हेतु लाया गया है। यह कि वादग्रस्त भूमि मूल रूप से दत्तात्रेय गिरी की थी। दत्तात्रेय अपनी विधवा रामपति कुँवर व 3 पुत्र शेषनाथ गिरी, सुरेश चन्द्र गिरी, उपेन्द्र गिरी व एक पुत्री गीता देवी को छोड़कर मरे। शेषनाथ गिरी अपनी विधवा माल्ती देवी व 3 पुत्रों (प्रतिवादी संख्या–1 से 3) एवं 4 पुत्री (प्रतिवादी संख्या–4 से 7) को छोड़कर मरे तथा सुरेश चन्द गिरी 2 पुत्र प्रतिवादी संख्या–8, 9 व 4 पुत्रियों प्रतिवादी संख्या–10 ता 14 को तथा उपेन्द्र गिरी अपनी विधवा उमा देवी व एक

न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम) नरकटियागंज
विभाजन वाद संख्या–60/2018

टुन्नू गिरी.....वादी

बनाम

मुकेश गिरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार

18.09.2021

पुत्र (वादी) तथा 4 पुत्रियों प्रतिवादी संख्या–15 ता 18 को छोड़कर मरे। गीता देवी भी वाद लंबन के दौरान मर चुकी हैं, उनके वारिसान इस वाद में प्रतिवादी संख्या 19 ता 19ग हैं। यह कि वादग्रस्त भूमि परिवार की संयुक्त भूमि है जिसका आज तक आर–दडेर देकर कोई बंटवारा नहीं हुआ है, बल्कि सभी लोग सुविधानुसार जोत आबाद व दखल कब्जे में रहते आ रहे हैं। यह कि प्रतिवादी संख्या–1 परिवार के कर्ता एवं प्रबंधक की हैसियत से संयुक्त जायदाद का देखभाल करते हैं, लेकिन प्रतिवादी संख्या–10, 11, 14 का हिस्सा हड़पने हेतु प्रतिवादी संख्या–1 ने प्रतिवादी संख्या–23 व 8 एवं 9 के साथ मिलकर जबर्दस्ती कुछ भूमि पर पक्का निर्माण कर उसका स्वरूप बदल रहे हैं तथा खेती वाली भूमि का स्वरूप बदलकर दखल कब्जा कर रहे है तथा परिवार की कीमती जमीन बेचकर कुल रूपया बेईमानीपूर्वक अपने परिवार के उपयोग में ला रहे हैं तथा प्रतिवादी संख्या–10, 11 व 14 को संयुक्त संपत्ति से बेदखल करने पर आमादा हैं। अतः वादग्रस्त भूमि पर वाद लंबन तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी संख्या–15 ता 19सी का कहना है कि प्रस्तुत वाद वादपत्र के मद नं0–2 में वर्णित भूमि के बंटवारा हेतु लाया गया है। इनके द्वारा वादी द्वारा वर्णित वंशावली को स्वीकार किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि का मुकम्मल बंटवारा होने तक यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया गया है।

प्रतिवादी संख्या–1 से 3 व 8, 9 का कहना है कि वादी द्वारा दाखिल बंटवारा वाद कानून व तथ्य की दृष्टि में परिपालनीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी को बंटवारा वाद दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परिवार में पहले ही बंटवारा हो चुका है तथा सभी ब्रांच अपने–अपने हक हिस्से की एराजी के दखल कब्जे में चलते आ रहे हैं तथा फरिकैनों द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय भी किया गया है। वादी द्वारा विक्रय विलेख के माध्यम से कई लोगों को भूमि विक्रय किया गया है। यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि के अंश के क्रेताओं के अलावा आवश्यक पक्षकारों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह कि दत्तात्रेय के वारिसानों के बीच वैशाख 1975 में ही जुबानी बंटवारा हो गया था तथा वे सभी अपने–अपने हिस्से की भूमि के दखल कब्जे में चले आये थे। यह कि टुन्नू गिरी अपने हिस्से की अधिकांशतः भूमि विक्रय कर चुके हैं तथा वे प्रतिवादी द्वितीय व तृतीय पक्ष के हक हिस्से की भूमि पर नाजायज दावा करते हैं। यह कि अन्य प्रतिवादीगण वादी के मेली व साजिशी हैं, जिनके बयान की कोई पाबंदी मनमुदालहम पर नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि परिवार में बंटवारा हो चुका है तथा पक्षकारों द्वारा हक हिस्सा स्वीकार करते हुए उसका विक्रय भी किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद नहीं है तथा सुविधा का तुला भी वादी के पक्ष में नहीं है तथा निषेधाज्ञा आवेदन अस्वीकृत किए जाने से वादी को कोई अपूर्णीय क्षति भी नहीं होगी। यह कि निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार किए जाने से मनमुदालहम के हक हिस्से की

न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम) नरकटियागंज
विभाजन वाद संख्या–60/2018

टुन्नू गिरी.....वादी

बनाम

मुकेश गिरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार

18.09.2021

भूमि का इस्तेमाल और उपभोग करने के अधिकार पर रोक लगेगी जिसके कारण मनमुदालहम को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि जिसका वर्णन वादपत्र के मद नं0–2 में किया गया है, में अपने 6/32 हिस्से के लिए लाया गया है। वादी का कहना है कि उभय पक्ष एक ही परिवार के हैं तथा उनकी पैतृक संपत्ति का अब तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। जबकि प्रतिवादी संख्या–1 से 9 को छोड़कर शेष प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते हैं कि बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या–1,2 व 3 से 8 व 9 का कहना है कि परिवार में पूर्व में ही बंटवारा हो चुका है। अभिलेख पर उपलब्ध टुन्नू गिरी (वादी) द्वारा निष्पादित विक्रय विलेखों की छायाप्रतियों से स्पष्ट है कि टुन्नू गिरी द्वारा जो विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है उसमें यह उल्लेख किया गया है कि विक्रय विलेख में वर्णित भूमि उन्हें बंटवारा में प्राप्त है। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला तथा सुविधा का संतुलन है तथा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वादी के पक्ष में पारित नहीं किया जाता है तो उसे अपूर्णीय क्षति हो सकती है। साथ ही राजेश गिरी, अनील गिरी द्वारा निष्पादित बयनामा दस्तावेज दिनांक 19.06.2019 व 27.07.2019 की प्रतियाँ अभिलेख पर उपलब्ध है, जिससे स्पष्ट होता है कि वाद लंबन के दौरान न्यायालय की अनुमति के वगैर वादग्रस्त भूमि के अंश का विक्रय किया गया है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेखों की छायाप्रतियों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के अंश भाग को उभय पक्षों द्वारा विक्रय किया गया है। जबकि प्रस्तुत वाद बंटवारा हेतु लंबित है, जिसमें पक्षकारों के हक हिस्से का निर्धारण होना शेष है। प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा इसमें वादपद का भी गठन नहीं हुआ है। यदि पक्षकारों द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय किया जाता है तो इससे वाद में बहुलता उत्पन्न होगी तथा वाद का निस्तारण भी विलंबित होगा। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि को बचाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतरण विलेख एक वर्ष अर्थात दिनांक 21.09.2022 तक निष्पादित नहीं करेंगे। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 24.08.2020 निस्तारित किया जाता है। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे वाद के त्वरित निस्तारण में सहयोग करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई दिनांक 06.10.2021

अवर न्यायाधीश (प्रथम)